


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

शासन उपसचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग जयपुर के पत्रांक पं.7(1)शिक्षा-2/संशोधन प्रस्ताव प्रधा/प्र.अ.
/व्या/2016 दिनांक 13.12.2016 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य का पदस्थापन/समायोजन इनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	कहाँ से (राउमावि/ राबाउमावि)	जिला	कहाँ को (राउमावि/ राबाउमावि)	जिला
1	ज्ञानी राठौड प्रधानाचार्य	धूमडिया-भीनमाल से नारणास जालौर के आदेश पर (दोहरा पदस्थापन)	jalore	डांगरा-सायला जालौर	jalore
2	यशवंत सिंह प्रधानाचार्य	कांकरदोपा-अलवर (दोहरा पदस्थापन)	Alwar	हाजीपुर-बानसूर अलवर	Alwar
3	राधेश्याम चौधरी प्रधानाचार्य	आसोतरा बाडमेर से फहारी अलवर के आदेश पर (दोहरा पदस्थापन)	Alwar	नांगलबनी-थानागाजी अलवर	Alwar

इन्हे अपने नवीन पदस्थापन स्थान दिनांक:-20/12/16 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना है कार्यग्रहण की सूचना शालादर्पण में दर्ज करना सुनिश्चित करें। राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम (RVRES) में नियुक्त अधिकारी शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं कर सकेंगे।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17

दिनांक:- 21.12.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
 2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
 3. संबंधित उपनिदेशक(प्रारम्भिक/माध्यमिक)
 4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II/विधि)
- के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
6. संबंधित कार्मिक
 7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक